कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
झारखण्ड सरकार
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303
E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 4237 दिनांक 20/12/2017

सेवा में

श्री आलोक कुमार,
उपमहाप्रबंधक,
विभागाध्यक्ष (पर्या० एवं वन),
दरभंगा हाउस,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– सी०सी०एल० का चुड़ी–बेंती अंदरग्राउण्ड परियोजना हेतु 281.17 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 65.84 हे० एवं राँची वन प्रमंडल अन्तर्गत 215.33 हे०) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि परियोजना पदाधिकारी, चुरी–बेंती परियोजना का पत्रांक 1964 दिनांक 10.10.2017 द्वारा ऑफ लाईन (हार्ड कॉपी) में प्रस्ताव 9 प्रतियों में दिनांक 25.11.2017 को इस कार्यालय में समर्पित किया गया है एवं ऑन–लाईन प्रस्ताव दिनांक 04.12.2017 को प्राप्त हुई है। प्राप्त प्रस्ताव को भारत सरकार के निर्देशानुसार चेक लिस्ट से मिलान किया गया। मिलानोपरांत निम्नवत् त्रुटियाँ पाई गई।

ऑन–लाईन प्रस्ताव में आपति

1. प्रस्ताव में संलग्न फार्म A का पार्ट 1 के कंडिका C(iii), (iv) एवं D (i) में अपलोड किये गये प्रति में प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न फार्म A का पार्ट– 1 के कंडिका F(ii) में अपलोड R&R प्लान पर प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है एवं Approvel to ministry of Tribal Affairs, Government of India to Rehabilitation and Resettlement मे भी R&R का प्लान की प्रति अपलोड किया गया है। इसे स्पष्ट करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न फार्म A का पार्ट 1 के कंडिका G (i)(a) में Justification की प्रति अपलोड की गई है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाय।
4. अपलोड माईनिंग प्लान में प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही है।
5. पार्ट 1 के कंडिका M 2(vi) में लैण्ड यूज प्लान अपलोड किया गया हैं परन्तु कौन सा स्केल में है एवं प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी नही है। land use plan in 1:4000 scale prepared by using GPS on total station दर्शातें हुए हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाय।
6. पार्ट 1 के कंडिका M 2(v)(a) में 3D subsideance analysis Report की प्रति संलग्न है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाय।
7. Details of the plan for the Transportation of the minirals perpose to be raised from the mining lease copy Uploaded but not singhed Authirity officers.
8. पार्ट 1 के कंडिका K(i) में No दर्शाया गया है जबकि वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र उपायुक्त चतरा द्वारा निर्गत प्रति ऑफ–लाईन प्रस्ताव में संलग्न है। अतः No के स्थान पर Yes दर्शाया जाय।

ऑफ–लाईन प्रस्ताव में आपति

1. प्रस्ताव में संलग्न वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र में ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न नही है। संलग्न किया जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा कुल 767.98 हे० पर दी गई परन्तु आपके द्वारा कुल 765.13 हे० क्षेत्र का ही प्रस्ताव समर्पित किया गया हैं जिसके कारण 2.85 हे० भूमि में भिन्नता आ रही है। अतः इसे स्पष्ट किया जाय।

अतः उल्लेखित त्रुटियों के सुधार हेतु प्रस्ताव ऑफ–लाईन एवं ऑन–लाईन वापस की जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
20.12.17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
20/12/17